<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

दिनांकः— 27.06.2025

संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु **प्राध्यापक—विद्यालय (Lecturer-School) प्रतियोगी परीक्षा—2024** के अन्तर्गत **हिन्दी** विषय के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु जारी की गई विचारित सूची दिनांक 09.04.2025 के क्रम में उक्त परीक्षा के दोनों प्रश्न—पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया जाता हैः—

<u>रोल नम्बर</u>

2142098	2157324	2163174	2203361

TOTAL CANDIDATES:- 04

उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अंतिम रुप से सफल अभ्यर्थियों की सूची (परिणाम) संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा जारी की जायेगी।

उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थाई रुप से सम्मिलित किये गये उक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी SSO ID के माध्यम से recruitment portal पर <u>My Recruitment → Detailed Form Cum Scrutiny → Apply Now</u> का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन—पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा <u>दिनांक 04.07.2025 से दिनांक 10.07.2025 (रात्रि 11:59)</u> तक लिंक खोला जायेगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन—पत्र एवं दस्तावेजों की जाँच संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जायेगी।

अतः ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग (संस्कृत शिक्षा विभाग) की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन—पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

संबंधित विभाग से दस्तावेज जाँच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जायेंगे।

(रामनिवास मेहता)
सचिव